संक्षेप शब्दों की सूची

1. भा. द.स. – भारतीय दंड संहिता
2. एस.सी. सुप्रीम कोर्ट
3. ए.आई.आर – ऑल इंडिया रिपोर्टर
4. ब. – बनाम
5. द. प्र .स. – दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
6. एस.सी.सी. – सुप्रीम कोर्ट केसेज
7. म.प्र. –मध्यप्रदेश
8. एच. आई आर. – ऑल इंडिया रिपोर्ट
9. कल – कलकत्ता
10. सी.आर.एल. – क्रिमीनल अपील
11. आई.पी.सी. – इंडियन पीनल कोड
12. राज. – राजस्थान
13. एच.सी. – हाईकोर्ट
14. प.– पंजाब
15. सी. आर. एल. जे. – क्रिमीनल लॉ जनरल

प्राधिकारी की सूची

कानून

1. भारतीय दंड संहिता – 1860
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. मुस्लिम विधि
5. मुस्लिम विवाह विधि
6. हिन्दु विवाह विधि 1955

न्यायिक निर्णय

1. के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य,
   (ए.आई.आर. 1962)
2. प्रहलाद दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य
   (एच. सी. 2009)
3. संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य
   (ए.आई.आर. 2002)
4. गौरव नागपाल बनाम सुमेदा नागपाल
   (ए.आई.आर. 2009 ए.पी.)
5. राजनाथ बनाम रविराज डूडेजा
   (ए.आई.आर. 2006 प. एवं एच.)
6. सुहराबी बनाम डी. मोहम्मद
   (ए.आई.आर. 1988)
7. ईमाम बांदी बनाम मुतसदे
   (1918)
8. उतरप्रेश राज्य बनाम लक्ष्मी
   (एस.सी.सी, 1998)
9. महेन्द्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य
   (एस.सी.सी., 1995)

10. जग्गनाथ मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
(सी.आर.एल.जे. 1945)
11. उतर प्रदेश राज्य बनाम सतीश
(ए.आई.आर. 2008)
12. चैतू और अन्य बनाम यूपी राज्य
(एस.सी. 2014)
13. महमूद बनाम राज्य
(ए.आई.आर. 1961)
14. रशीया पटेल बनाम यूसूफ
(2009 केरला हाई कोर्ट)
15. अतर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद
(एस.सी.सी., 2010)

किताबें

1. रतनलाल तथा धीरज लाल, भारतीय दंड संहिता
2. डॉ. रेगा सूर्य राव, व्याख्यान दंड विधि
3. मुल्ला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
4. के.डी. गौड, भारतीय दण्ड विधान का टीका
5. रतनलाल तथा धीरजलाल, भारतीय साक्ष्य विधि
6. हिमांशु बांगिया, अपराध कानुन संहिता
7. डॉ. अवतार सिंह, साक्ष्य विधि
8. गौर, के.डी. क्रिमिनल लॉ, केसेज एवं मेटेरियल
9. मुस्लिम विधि अकील अहमद
10. मुस्लिम विधि मुल्ला
11. भारतीय दंड संहिता प्रोफेसर भट्टाचार्य
12. भारतीय दंड संहिता डॉ. एस.एस. दास

13. भारतीय दंड संहिता के.डी. गौर

14. चेटली एंड राऊ, भारतीय दंड संहिता

15. गौर हरि, सिंह भारतीय दंड संहिता

शब्द कोष

1. ब्लेक लॉ शब्दकोष

2. मैरियम वेवस्ट, लीगल हिक्शनरी

वेबसाईट

1. www.manupatra.com

2. www.supremecourt of india.com

3. www.scconline.in

4. www. indiakanoon.or

5. www.westlawindia. com

6. www.jusdis.nic.omj

7. www.lexisnexis.com

8. www.legalserviceindia.com

तथ्य विलेख

वाद बिंदु की कहानी आर्यगढ नामक शहर पर केन्द्रित है। श्री हरीश चंद्र शहर के नामी एवं रसूखदार जमींदार है जो कि न केवल सबसे बडे कारखाने के मालिक हैं अपितु हिन्दु राजनैतिक संगठन राष्ट्रीय रक्षा दल के कद्दावर नेता भी है । उनकी दो संतान हैं जिनका नाम रूपा और कुबेर है।

श्री अखलाख–उल–रज्जाक उक्त वर्णित कारखाने के अधीक्षक एवं श्रमिक संघ के प्रमुख नेता है जो कुरैशी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और मुसलमान है। आर्यगढ एक मुस्लिम बाहुल्य शहर है जिसकी कमान कुरैशी समुदाय के हाथों में है। कुरैशी परिवार की एक सशक्त पृष्ठभूमि एवं राजनैतिक वर्चस्व तारा–ए–हिन्द नामक राजनैतिक संघठन में है। अखलाख–उल– रज्जासक की दो पत्नियां थी, जिसमें पहली शादी से अशफाक और दूसरी शादी से गुल–हैदर और पुत्री खदीजा संतान के रूप में प्राप्त हुई।

अशफाक और रूपा एक दुसरे से प्रेम करते थे और जब इस बात की सूचना रूपा के पिता हरीश चंद्र को हुई तो वह आग बबूला हो गए। इसी क्षणिक क्रोध की ज्वाला में उन्होने अखलाख–उल–रज्जाक को काम से निष्कासित कर दिया जिसका कारण उन्होंने व्यक्तिगत रखा। अखलाख–उल–रज्जाक न सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा था अपितु श्रमिक संघ का प्रमुख नेता भी था जिसके परिणाम स्वरूप बाकि मुस्लिम कर्मी भी कारखाने से काम छोड कर जाने लगे। शहर के बाहर किराये पे जमीन लेकर वह सब साथ मिलकर सहकारी कृषि करने लगे।

अखलाख–उल–रज्जाक को काम से निकालने के उपरांत हरीश चंद्र ने उनके पुत्र गुल हैदर की श्रमिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और नए कर्मियों की भर्ती हेतु और उनकी लुभाने के लिए 33 प्रतिशत की दर पे वेतन बढोतरी की घोषणा की । इससे हुआ ये कि वो जो मुस्लिम कर्मी समाज संगठित था वो अब दो भागों में बंट गया था जिसमें से एक अखलाख–उल–रज्जाक के साथ और दूसरा गुल हैदर से जुड गया था। गुल हैदर तारा–ए–हिन्द का एक उभरता हुआ भावी युवा नेता था जिसकी बहुत जल्द दल के हाईकमान की जिम्मेदारी मिलने वाली थी। गुल हैदर की बढती लोकप्रियता को देखकर हरीश चंद्र को लगा यदि उसकी पुत्री रूपा का विवाह गुल हैदर से होता है तो उसकी पकड मुस्लिम समाज में बढ जाएगी जो उसके लिए हितकारी होगा। इसलिए हरीश चद्र ने उनकी शादी करवा दी और उन सबसे अलग कुबेर और खदीजा ने भी शादी कर ली। रूपा जिसको रिहाना कहा जाने लगा और लगभग एक साल के अंतराल के बाद गुल हैदर और रिहाना के पुत्र का जनम हुआ जिसका नाम कबीर था। कबरी का जनम ओर उसकी परवरिश पूरी तरह हिन्दू घरबार और हिन्दू मुल्यों के बीच हुई।

गुल हैदर तारा–ए–हिन्द का एक प्रमुख चेहरा था जिसके कारण उसको चुनाव प्रचार एवं अन्य दल संबंधि कामों के लिए यात्रा करनी पडती थी। अशफाक और रिहाना के बीच अवैध प्रेम संबंध विवाह के उपरांत भी जारी था। एक दिन जब गुल हैदर चुनावी यात्र से लौटकर आया तो उसकी बहन खदीजा ने चुगली करने के इरादे से उसकी, हिना और अशफाक के बीच अवैध प्रेम संबंध की जानकारी दी। यह सुनकर उसके एक चाकु उठाया और उस बाग में गया जहां अशफाक और रिहाना बैठे थे जाकर अखफाक से जुवानी तू तू मैं में करने लगा। देखते ही देखते ये जुबानी जंग शारीरिक हाथापाई में तब्दील हो गयी जिसमें क्रोध से तिलमिलाए गुल हैदर ने अशफाक में चाकू भौंक दिया। ऐस देखकर रिहाना ने गुल हैदर की बद्दुआएं दी ओर आश्चर्य से कहने लगी ऐसा निमर्म कृत्य कोई कैसे अपने भाई के साथ कर सकता है। गुस्से में चूर गुल हेदर ने अपनी पत्नी रिहाना को भी चाकू भोंक दिया।

उन दोनो की लहूलुहान अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां अशफाक ने पहुंचते ही दम तोड दिया और रिहाना का बहुत अधिक खुन बह चुका था। गुल हेदर की अशफाक के जूर्म में दोषी करार कर कारावास भेज दिया गया।

अंग प्रत्यारोपण सर्जरी की विफलता और विभिन्न चोटों के कारण रिहाना भी जिन्दगी की जंग हार कर मर गयी। खदीजा और कुबेर पर अशफाक और रिहाना की हत्या की बढावा देने के लिए मुकदमा चलाया गया।

क्षेत्राधिकार का कथन

अभियुक्त जिला सत्र न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 177 एवम 178 के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 177 के अनुसार –

पूछताछ और परीक्षण की साधारण जगह सामान्य तौर पर अपराध की जॉच उस न्यायालय में की जाती है जिस न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध घटित हुआ है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 178 के अनुसार –

(क) जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रें में से किसमं अपराध किया गया है।

अथवा

(ख) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है।

अथवा

(ग) जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों मं चालु रहता है।

अथवा

(घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किये गये कई कार्यों से मिलकर बनता है जहां उसकी जांच या विचारण ऐसी स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

यह धारा विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच मतभेद एवं न्यायाधीश के विशेषाधिकारों के विषय में संशय होने पर उपजी समस्या का समाधान करता है।

यह सभी सविनय अभिवादन के साथ न्यायालय के समक्ष निवेदित है।

मुद्दा

प्रश्न 1. कबीर का संरक्षक कौन होगा : हरीश चंद्र या अखलाख–उल–रज्जाक ?

प्रश्न 2. क्या खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है? हां और ना दोनो परिस्थितियों में जैसा आप सोचते हैं तर्क देकर सिद्ध करें।

प्रश्न 3. यद्यपि कुल हैदर हत्या का दोषी है, पर क्या आकस्मिक भावावेश में आकर उसके द्वारा की गई दोनों हत्याएं एक ढाल है उसके जुर्म के लिए। हां या ना दोनो परिस्थितियों में जैसा आपको लगता है तर्क देकर स्पष्ट करें।

तर्को का सार

प्रश्न 1. कबीर का संरक्षक कौन होगा : हरीश चंद्र या अखलाख –उल–रज्जाक ?

– कबीर का संरक्षक हरीश चंद्र ही होगा। क्योंकि कबीर का जन्म और उसकी परवरिश पुरी तरह हिन्दु घर बार और हिंदु मुल्यों के बीच हुई ।

मुस्लिम विधि के अनुसार अगर बच्चे की मां न हो तो उसका संरक्षक कौन होगा –

– मॉ के न होने पर अन्य स्त्री संबंधी –

मुस्लिम विधि के अनुसार मॉ के न होने पर सात वर्ष से कम आयु के बालक और यौवनावस्था की न प्राप्त हुई बालिका की अभिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित स्त्री संबंधियों को नीचे दिये गये क्रम में पहुंचता है–

1. मॉ की मॉ, चाहे जितनी पीढी ऊपर हो।
2. पिता की मॉ, चाहे जितनी पीढी ऊर हो।
3. सगी बहिन।
4. सहोदरा बहिन।
5. सगोत्री बहिन।
6. सगी बहिन की लडकी।
7. सहोदरा बहिन की लडकी।
8. सगोत्री बहिन की लडकी।
9. मौसी, बहिनों की समान क्रम में।
10. बुआ, बहिनों, के समान क्रम में।

धारा 300 का अपवाद 10. आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है –

– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन सेआत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्यधीन है –

पहला – यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा– यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्व प्रयोग में, की गई हो।

तीसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्व प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण– प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध की हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न हैं।

प्रश्न 2. **क्या खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है? हॉ और ना दोनों ही परिस्थितियों में जैसा आप सोचते है तर्क देकर सिद्ध करें।**

खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित हैं तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि गुल हैदर की बहन खदीजा ने चुगली करने के इरादे से उसको रिहाना और अशफाक के बीच प्रेम संबंध की जानकारी दी।

जब गुल हैदर को अपनी पत्नी क अवैध संबंध के बारे में पता चला तो उसने चाकु उठाया और उस बाग की ओर गया जहॉ अशफाक और रिहाना बैठे थे।

खदीजा अगर चाहती तो वह गुल हैदर को रोक सकती थी लेकिन उसने ऐसा नही किया और नतीजा ये रहा कि गुल हैदर ने रिहाना और अशफाक की हत्या कर दी।

प्रश्न 3– यघपि गुल हैदर हत्या का दोषी है, पर क्या आकस्मिक भावावेश में आकर उसके द्वारा की गई दोनों हत्याएँ एक ढाल है उसके जूर्म के लिए ? हॉ या ना दोनों परिस्थितियों में जैसा आपको लगता है तर्क देकर स्पष्ट करें ?

– गुल हैदर द्वारा की गई दोनों हत्याएँ आकस्मिक भावावेश में नहीं की गई। तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि जब गुल हैदर को रिहाना और अशफाक के अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो वह चाकु उठाकर उस बाग की तरफ निकलता है जहॉ वो बैठे होते हैं। उसको सोचने का समय मिला था लेकिन उसका इरादा उनकी हत्या करना था।

लिखित तर्क

प्रश्न 1. कबीर का संरक्षक कौन होगा : हरीश चंद्र या अखलाख –उल–रज्जाक ?

– जब न्यायालय को इस विषय में संतोष हो जाए कि किसी अवयस्क के शरीर या सम्पति या दोनों के लिए किसी को संरक्षक नियुक्त करने या घोषित करने का आदेश उसके कल्याण के लिए होगा, तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकता है। किसी अवयस्क का संरक्षक नियुक्त कने या घोषित करने में न्यायलाय संरक्षक ओर प्रतिपाल्य अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत, उस विधि में सुसंगत, अवयस्क जिसके अधीन हो तथा उसकी परिस्थितियों में उसके कल्याण का धन रखेगा।

अवयस्क का कल्याण किसमें है, इस पर विचार विमर्श करने मे न्यायालय अवयस्क की आयु,लिंग और धर्म, प्रस्तावित संरक्षक के चरित्र और योग्यता, अवयस्क के उसके रिश्ते या अवयस्क की आयु, उसकी सम्मति, प्रस्तावित संरक्षक के पूर्व–संबंधों की दृष्टि में रखेगा।

यदि अवयस्क की आयु ऐसी हो कि वह विवेकपूर्ण अधिमान दे सकता हो तो न्यायालय उसके अधिमान पर विचार कर सकता है।

मुस्लिम विधि तीन प्रकार की संरक्षाता की मान्तयता देती है, जो निम्नलिखित है –

1. विवाह में संरक्षाता
2. अभिरक्षा या हिजानत के लिए अवयस्क के शरीर की संरक्षकता।
3. अवयस्त की संपति की संरक्षाता

शरीर की संरक्षकता अर्थात् हिमानत –

अवयस्क लडके और अवयस्क लडकियों के शीरर की संरक्षाता का अधिकार 'हिजानत' कहलाता है। इस अरबी शब्द का अर्थ होता है– 'बच्चे के भरण पोषा के लिए उसका संरक्षण'।

मां के न होने पर अन्य स्त्री संबंधी – (धारा 353 मुल्ला मुस्लिम विधि)

मां के न होने पर सात वर्ष से कम आयु के बालक और यौवनावस्था को न प्राप्त हुई बालिका को अभिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित स्त्री संबंधियों को नीचे दिए गए क्रम में पहुंचाता है।

1. मॉ की मॉ, चाहे जितनी पीढी ऊपर हो।
2. पिता की मॉ, चाहे जितनी पीढी ऊर हो।
3. सगी बहिन।

4. सहोदरा बहिन।

5. सगोत्री बहिन।

6. सगी बहिन की लडकी।

7. सहोदरा बहिन की लडकी।

8. सगोत्री बहिन की लडकी।

9. मौसी, बहिनों की समान क्रम में।

10. बुआ, बहिनों, के समान क्रम में।

मुस्लिम विधि के अनुसार माँ के न होने पर सात वर्ष से कम आयु के बालक और बालिका की अभिरक्षा का पहला अधिकार मां की मां चाहे जितनी पीढी ऊपर हो की होता है। इसलिए हरिश चंद्र अर्थात् कबीर के नाना को उसके सरक्षक का अधिकार मिलना चाहिए।

तथ्य विलेख के अनुसार कबीर का जनम और उसकी परवरिश पूरी तरह हिन्दु घरबार और हिन्दु मुल्यों के बीच हुई इसलिए कबीर का संरक्षक हरीश चंद्र की नियुक्त करना चाहिए न्यायालय को कबीर का संरक्षक नियुक्त करने से पहले उसके धर्म, आयु, लिंग को दृष्टि में रखना चाहिए एवं हरीश चंद्र को उसका संरक्षक नियुक्त करना चाहिए।

मोहम्मद शफी बनाम शमीन बानो (ए.आई.आर. 1979 बॉम्बे)

वाद में यह कहा गया कि जब तक अवयस्क बच्चा 7 साल की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और लडकी जब तक यौवनावस्था की आयु प्राप्त नहीं कर लेती तब तक उनकी संरक्षक अर्थात् हिजानत मां होगी और मां की मृत्यु या अनुपस्थिति में मां के अन्य स्त्री संबंधि की होगी जिसमें सबसे पहले संरक्षक का अधिकार मां की मां को होगा।

शेफाली बेगम बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य (कलकत्ता उच्च न्यायालय सी.आर.आर. नं 3611 2009)

वाद में न्यायालय ने यह माना कि मुल्ला मुस्लिम विधि की धारारा 353 के तहत अवयस्क बच्चे कि मां न हो तो उसका संरक्षक उसकी मां की मां होगी।

प्रश्न 2. **क्या खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है? हॉ और ना दोनों ही परिस्थितियों में जैसा आप सोचते है तर्क देकर सिद्ध करें।**

खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित हैं तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि गुल हैदर की बहन खदीजा ने चुगली करने के इरादे से उसको रिहाना और अशफाक के बीच प्रेम संबंध की जानकारी दी।

जब गुल हैदर को अपनी पत्नी क अवैध संबंध के बारे में पता चला तो उसने चाकु उठाया और उस बाग की ओर गया जहॉ अशफाक और रिहाना बैठे थे।

खदीजा अगर चाहती तो वह गुल हैदर को रोक सकती थी लेकिन उसने ऐसा नही किया और नतीजा ये रहा कि गुल हैदर ने रिहाना और अशफाक की हत्या कर दी।

तथ्य विलेख से ये भी स्पष्ट है कि श्री अजलाज–उल–रज्जाक के दो पत्नीयां थी, जिसमें अशफाक पहली शादी से और दूसरी शादी से पुत्र गुल हैदर और पुत्री खदीजा संतान के रूप में प्राप्त हुई थी।

अतः स्पष्ट है कि अशफाक खदीजा और गुल हैदर का सौतेला भाई था। खदीजा ने आपराधिक मनः स्थिति के तहत गुल हैदर को अशफाक और रिहाना के अवैध संबधं के बारे में जानकारी दी। ताकि गुल हैदर उसकी हत्या कर दे, जिससे की अशफाक उनके रास्ते से हट जाए।

धारा 107 भारतीय दंड संहिता – किसी बात का दुस्प्रेरण – वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुस्प्रेरण करता है, जो –

पहला – उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है : अथवा

दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षडयंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्धेश्य से कोई कार्य या बवैध लोप घटित हो जाए : अथवा

तीसरा – उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1 – जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आवद्ध है, जानबुझकर छिपान द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या अपाप्त करने का प्रयत्न करता है वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2 – जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और वद्रद्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

धारा 108 दुस्प्रेरक (भारतीय दंड संहिता 1860)

वह व्यक्ति अपराध का दुस्प्रेरण करता है, जो अपराध के किए जाने का दुस्प्रेरण करता है, जो अपराध होता, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से, जो दुस्प्रेरक का है, किया जाता है।

स्पष्टीकरण 1 – किसी कार्य के अवैध लोप का दुस्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा, चाहे दुस्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आवद्ध न हो।

स्पष्टीकरण 2 – दुस्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुस्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित अपराध या ज्ञान हो, जो दुस्प्रेरक का है, या कोई भी दूषित आशय का ज्ञान हो।

तथ्यों से स्पष्ट है कि खदीजा ने चुगली करने एवं गुल हैदर को उकसाने के इरादे से गुल हैदर को रिहाना एवं अशफाक के अवैध संबंधों की जानकारी दी।

खदीजा ने अपाराधिक मनः स्थिति के तहत गुल हैदर को उकसाया। इसलिए खदिजा एवं कुबैर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है।

गुल हैदर एवं अन्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी हैं गुल हैदर द्वारा किये गये कार्य में हत्या के सभी तथ्य विद्यमान है अतः वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302के तहत दोषी है।

प्रश्न 3– यघपि गुल हैदर हत्या का दोषी है, पर क्या आकस्मिक भावावेश में आकर उसके द्वारा की गई दोनों हत्याएँ एक ढाल है उसके जूर्म के लिए ? हॉ या ना दोनों परिस्थितियों में जैसा आपको लगता है तर्क देकर स्पष्ट करें ?

गुल हैदर द्वारा की गई दोनों हत्याएँ आकस्मिक भावावेश में आकर नहीं की गई। तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि जब गुल हैदर को रिहाना और अशफाक के अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो वह चाकु उठाकर उस बाग कि ओर चल दिया जहा रिहाना और अशफाक बैठे थे। इससे स्पष्ट होता है कि गुल हैदर की आपराधिक मनः स्थिति थी।

आकस्मिक प्रकोपन के तत्व –

गंभीर और अचानक प्रकोपन के लिए निम्न तथ्यों का होना जरूरी है –

(1) आरोपी को उकसाया गया।

(2) प्रकोपन – (क) गंभीर था। (ख) अचानक था।

(3) वह आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया और इससे पहले कि वह शांत हो पाता, उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसके कारण वो अचानक प्रकोपित हुआ।

जहॉ गंभीर और अचानक प्रकोपन का सवाल हो वहॉ तथ्य के आधार पर देखा जाए कि, वह प्रकोपन हत्या के लिए काफी था या नहीं।

तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि गुल हैदर को जब रिश्हाना और अशफाक के अवैध संबध की जानकारी मिलती है तब वह चाकु उठाता है और उस बाग की तरश्फ चला जाता है जहॉ रिहाना और अशफाक बैठे थे।

इससे स्पष्ट होता है कि गुल हैदर की आपराधिक मनः स्थिति थी। उसके पास सोचने का पुरा वक्त था। पर उसन आपराधिक मनः स्थिति में रिहाना और अशफाक की हत्या कर दी।

के.एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य में मापदण्डों का उल्लेख किया है जो आकस्मिक एवं गंभीर प्रकोपन के लिए जरूरीहै।

1. मृतक आरोपी को उकसाना।
2. प्रकोपन गंभीर होना चाहिये।
3. प्रकोपन आकस्मिक होना चाहिये।
4. आरोपी गंभीर एवं आकस्मिक प्रकोपन के कारण अपनी आत्मनियंत्रण शक्ति खो देता है।
5. मृतक की हत्या उस वक्त की गई हो जब वह मृतक द्वारा किये गये प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति खो चुका हो।

तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि गुल हैदर ने सौतेले भाई अशफाक ओर उसकी पत्नी रिहाना के बीच अनैतिक संबंध प्रकोपन का मुख्य कारण था। यह कृत्य पूर्णतः अनैतिक था जो किसी भी आम व्यक्ति को उकसाने में सक्षम है।

गुल हैदर को अचानक प्रकोपन लाभ नहीं मिलना चाहिये क्योंकि उसको उचित समय मिला था कि वह सोच सके। अचानक प्रकोपन का लाभ तभी लिया जा सकता है जब वह कार्य तुरन्त हो।

प्रार्थना / निवेदन

सभी तर्कों, तथ्यों प्रातिधिकारों और कारणों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त पक्ष माननीय न्यायाधीनता के समक्ष यह निवेदन करता है कि :–

1. हरिश चंद्र को कबीर का संरक्षक नियुक्त किया जाए।

2. खदिजा और कुबेर की हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है, अतः उन्हें धारा 109 के तहत दोषी माना जाये।

3. गुल हैदर को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का लाभ नहीं मिले, उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी माना जावे।

न्यायालय से अनुरोध है कि न्याय, सद्धसिद्धवेक एवं निष्पक्षता से न्यायसंगत निर्णय देने की कृपा करे।

यह सभी सविनय अभिवादन के साथ न्यायालय के समक्ष निवेदित है।

स्थान : आर्यगढ

दिनांकः

अभियोजन पक्ष की ओर से